इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 358 र

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 28 अगस्त 2015-भाद्र 6, शक 1937

विधि और विधायी (निर्वाचन) कार्य विभाग भोपाल, दिनांक 27 अगस्त 2015

फा. 10क-वि.निर्वा.-2015-चार-क-409.—भारत निर्वाचन आयोग के आदेश संख्यांक 76- म.प्र.-वि.स.(उप-निर्वाचन)-2014, दिनांक 7 अगस्त, 2015 सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किए जाना है.

एस. एस. बंसल, सचिव.

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

सं0 76/म0प्र0-वि0स0(उष-निर्वाचन)/2014

नई दिल्ली, दिनांक : 07 अगस्त, 2015

16 श्रावण, 1937 (शक)

आदेश

यतः, भारत निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि मध्य प्रदेश राज्य से विधानसभा के उप-निर्वाचन, 2014 में, नीचे की सारणी के स्तम्भ 4 में विनिंदिष्ट निर्वाचन लड़ने वाला अभ्यर्थी, स्तम्भ 3 में अपने नाम के सामने विनिंदिष्ट निर्वाचन क्षेत्र से लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951, तथा तद्धीन बनाए गए नियमों के अन्तर्गत यथाअपेक्षित उक्त सारणी के स्तम्भ 5 में यथादर्शित अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा लेखा विधि द्वारा अपेक्षित रीति से दाखिल करने में विफल रहा है;

और यतः, उक्त अभ्यर्थी ने भारत निर्वाचन आयोग द्वारा सम्यक नोटिस दिए जाने के बावजूद, उक्त विफलता के लिए या तो कोई कारण या स्पष्टीकरण नहीं उपलब्ध कराया है, या उनके द्वारा दिए गए अभ्यावेदन, यदि कोई हो, पर विचार करने के उपरान्त भारत निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि उक्त विफलता के लिए उनके पास कोई उपयुक्त या न्यायोचित कारण नहीं है;

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10—क के अनुसरण में, भारत निर्वाचन आयोग, नीचे की सारणी के स्तम्म 4 में विनिदिष्ट व्यक्तियों को संसद के किसी भी सदन या राज्य या संघ राज्य क्षेत्र की विधानसभा अथवा विधान परिषद के लिए सदस्य चुने जाने या होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अविध के लिए निरहिंत घोषित करता है:—

सारणी

f	.			निर्वाचन लड़ने वाले अम्यर्थी का नाम	निरईता का कारण
	•	निर्वाचन का विवरण	निर्वाचन क्षेत्र की क्रम संख्या व नाम	तथा पता	
	सं. 1	2	3	4 श्री मुन्नालाल दीवान,	5 निर्वाचन व्ययों का लेखा विधि
	1	मध्य प्रदेश विधान सभा के लिए उप— निर्वाचन, 2014	1	िनाम :- गाम-धरी तहसील-	द्वारा अपेक्षित रीति से दाखिल करने में असफल रहे हैं ।

आदेश से,

हस्ता./-(**नरेन्द्र ना. बुटोलिया)** सचिव, भारत निर्वाचन आयोग.

ELECTION COMMISSION OF INDIA

Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110001.

No. 76/MP-LA(Bye)/2014

New Delhi, <u>Dated: 07th August, 2015</u> 16 - Shravana, 1937 (Saka)

ORDER

Whereas, the Election Commission of India is satisfied that the contesting candidate specified in column 4 of the Table below at the Bye Election to the Legislative Assembly, 2014 in the Madhya Pradesh State specified in column 2 and held from the constituency specified in column 3 against his name has failed to lodge the account of his election expenses in the manner required by law as shown in column 5 of the said Table as required by the Representation of the People Act, 1951 and the Rules made thereunder;

And whereas, the said candidate has either not furnished any reason or explanation for the said failure even after due notice by the Election Commission of India or after considering the representation made by them, if any, the Election Commission of India is satisfied that he has no good reason or justification for the said failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission of India hereby declares the persons specified in column 4 of the Table below to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or the Legislative Assembly or Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order:-

TABLE

Sl No.	Particulars of Election	Sl. No. & Name of Assembly Constituency	Name & Address Contesting Candidate	Reasons for Disqualification
1	2	3	4	5
1	Bye Election to the Madhya Pradesh Legislative Assembly, 2014	94-Bahoriband	Sh. Munna Lal Diwan R/o Village-Dhuri, Post- Khirahni, Tehsil-Bahoriband, District-Katni, Madhya Pradesh	Failed to lodge the account of his election expenses in the manner required by law.

By order,

Sd./(NARENDRA N. BUTOLIA)
Secretary,
Election Commission of India.